क्रम-संख्या–201(क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 23 दिसम्बर, 2025
पौष 2, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3

संख्या 2403 / 2025-8-3099-153-2024
लखनऊ, 23 दिसम्बर, 2025

अधिसूचना

प0आ0–225

उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2024 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-6 सन् 2024) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करते हैं कि नीचे अनुसूची में यथाउल्लिखित वाराणसी और उसके आस-पास के क्षेत्रों को ''काशी-विंध्य क्षेत्र'' कहा जायेगा।

अनुसूची

क्रम-संख्या	जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि0मी0)
1	वाराणसी	1,535.00
2	जौनपुर	4,038.00
3	चन्दौली	2,541.00
4	गाजीपुर	3,377.00
5	मिर्जापुर	4,505.00
6	भदोही	1,015.00
7	सोनभद्र	6,905.00
	कुल	**23,916.00**

2– पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल अग्रतर पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए उपर्युक्त ''काशी-विंध्य क्षेत्र'' के सम्बंध में एक प्राधिकरण का गठन करते हैं, जिसे ''काशी-विंध्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण'' कहा जाएगा, जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होंगे, :–

(क)	माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
(ख)	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	उपाध्यक्ष
(ग)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	सदस्य और संयोजक
(घ)	वित्त, न्याय, राजस्व, नियोजन, नगर विकास, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, नमामि गंगे, लोक निर्माण विभाग, पर्यटन, वन, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, सिंचाई और परिवहन विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पदेन	सदस्य
(ङ)	मंडलायुक्त, वाराणसी एवं मिर्जापुर	सदस्य
(च)	जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही एवं सोनभद्र	सदस्य
(छ)	उपाध्यक्ष, वाराणसी एवं मिर्जापुर-विन्ध्यांचल विकास प्राधिकरण	सदस्य
(ज)	मुख्य नगर और ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, पदेन	सदस्य
(झ)	सरकार द्वारा नियुक्त, अनधिक पाँच ऐसे विशेषज्ञ व्यक्तियों की संख्या जो सरकार की राय में शहरी और क्षेत्रीय विकास, अभियंत्रण, परिवहन, उद्योग और पर्यावरण से सम्बंधित मामलों का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखता हो	सदस्य
(ञ)	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन या किसी अन्य अभिवहन प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक या उनके प्रतिनिधि चाहे वे किसी भी नाम से जाने जायें	सदस्य
(ट)	भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट रेलवे और रक्षा के प्रतिनिधि	सदस्य
(ठ)	सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी सरकार के प्रमुख सचिव से अनिम्न रैंक का होगा, जब तक सरकार द्वारा अन्यथा नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है, तब तक आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मुख्य कार्यपालक अधिकारी होंगे।	सदस्य
(ड)	क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का सदस्य–सचिव	मण्डलायुक्त, वाराणसी

3– ''काशी-विंध्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण'' का मुख्यालय वाराणसी में होगा।

आज्ञा से,

पी0 गुरूप्रसाद,

प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2403/2025-8-3099-153-2024, dated December 23, 2025:

No. 2403/2025-8-3099-153-2024

Dated Lucknow: December 23, 2025

In exercise of the powers under sub-section (1) of Section 3 of the Uttar Pradesh State Capital Region and other Regions Development Authority Act, 2024 (U.P. Act no. 6 of 2024), the Governor, is pleased to declare that the area comprising Varanasi and its surrounding areas as mentioned in the Schedule below shall be called the "Kashi-Vindhya Region".

SCHEDULE

Sl.no.	District	Area (sq. km.)
1	Varanasi	1,535.00
2	Jaunpur	4,038.00
3	Chandauli	2,541.00
4	Ghazipur	3,377.00
5	Mirzapur	4,505.00
6	Bhadohi	1,015.00
7	Sonbhadra	6,905.00
Total		**23,916.00**

2. The Governor, in exercise of powers under sub-section (1) of Section 4 of the aforesaid Act, is further pleased to constitute, in respect of the above mentioned " Kashi-Vindhya Region", for the purposes of the aforesaid Act, an authority to be called the "Kashi-Vindhya Regional Development Authority", consisting of,–

(a)	Hon'ble Chief Minister, Uttar Pradesh	Chairman
(b)	The Chief Secretary to Government of Uttar Pradesh	Vice-Chairman
(c)	The Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary to the Department of Housing and Urban Planning	Member and Convener
(d)	The Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary to the Departments of Finance, Law, Revenue, Planning, Urban Development, Industrial and Infrastructure Development, Namami Gange, Public Works Department, Tourism, Forest, Rural Development, Panchayati Raj, Agriculture, Irrigation and Transport, *ex-officio*	Member
(e)	The Divisional Commissioners Varanasi and Mirzapur	Member
(f)	The District Magistrates Varanasi, Jaunpur, Chandauli, Ghazipur, Mirzapur, Bhadohi and Sonbhadra	Member

(g)	The Vice Chairman of Varanasi and Mirzapur-Vidhyanchal Development Authority	Member
(h)	The Chief Town and Country Planner, Town and Country Planning Department, Uttar Pradesh *ex-officio*	Member
(i)	Such number of expert persons, not exceeding five, appointed by the Government who in the opinion of the Government have special knowledge or practical experience of matters relating to urban and regional development, engineering, transport, industry and environment.	Member
(j)	The Managing Director, or their representatives of Uttar Pradesh Metro Rail Corporation or any other transit authority by whatever name they are known.	Member
(k)	The Representatives of Railways and Defence nominated by Government of India	Member
(l)	The Chief Executive Officer nominated by the Government not below the rank of Principal Secretary to the Government. Unless nominated otherwise by the Government, Additional Chief Secretary, Housing and Urban Planning Department will be the Chief Executive Officer.	Member
(m)	The Member Secretary to the Regional Development Authority.	Divisional Commissioner, Varanasi

3. The headquarter of the "Kashi-Vindhya Regional Development Authority" shall be at Varanasi.

By order,
P. GURUPRASAD,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 293 राजपत्र–2026–(917)–599 प्रतियाँ (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 11 सा0 आवास एवं शहरी नियोजन–2026–(918)–1280 + 100 = 1380 प्रतियाँ डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।
293 RPH 2025 (Avas Evam Shahri Niyojan-3) data 6e